मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 4363–5 जी0 एस–1–77 दिनांक 9 जुलाई, 1977 की प्रति ।

विषय :––स्थानान्तरण नीति में परिवर्तन ।

मुझे निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 2698–5 जी0 एस0–177/12418, दिनांक 5 मई, 1977, में जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाऊं, जिन द्वारा सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को अपने अधीन कर्मचारियों के स्थानान्तरण करने की शक्तियां दी गई थी तथा कहूं कि सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि अगामी आदेशों तक सभी विभाग अपने कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण प्रस्तावों को लम्बित रखे और उन पर कोई कार्यवाही न की जाए। कृपया इनहिदायतों का कड़ाई से पालन किया जाए।

भवदीय,

हस्ता/-

उप-सचिव, सामान्य प्रशासन

कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक प्रति निम्नलिकित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु वित्तायुक्त हरियाणा सरकार और सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को भेजी जाती है।